बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (गया) 02–38/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री सुमित कुमार, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, बोधगया, गया के विरूद्ध समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1859/रा0, दिनांक–04.07.2024 द्वारा भू–हदबंदी अधिनियम, 1961 की धारा–15 (a)(2) के अनुसार अधिशेष घोषित भूमि को पुराने खाता/खेसरा से मिलान एवं जाँच किये बिना नियमों की अनदेखी करते हुए दाखिल–खारिज वाद सं0–692/2023–24 की अनुशंसा किये जाने एवं तत्पश्चात् ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने संबंधी आरोपों के लिए विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप में प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(a) के तहत विभागीय संकल्प सं0–1167(15), दिनांक–10.07.2024 द्वारा निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा निर्धारित किया गया।

3. समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1859/रा0, दिनांक–04.07.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1272(15), दिनांक–26.07.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–14.08.2024 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. समाहर्त्ता, गया के पत्रांक–1989, दिनांक–15.07.2024 एवं पत्रांक–3770, दिनांक–01.11.2024 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व से प्रेषित आरोप पत्र के अतिरिक्त अंचल कार्यालय, बोधगया के निरीक्षण के दौरान परिमार्जन के लगभग 4000 आवेदन लंबित पाये जाने संबंधी आरोपों के लिए पूरक आरोप पत्र के आधार पर विभाग स्तर पर पूरक आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–84(15), दिनांक–24.01.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–21.02.2025 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में विभागीय पत्रांक–692(15), दिनांक–08.05.2025, स्मारित पत्रांक–1139(15) दिनांक–04.07.2025, पत्रांक–1775(15) दिनांक–24.09.2025, पत्रांक–140(15) दिनांक–12.02.2026 एवं पत्रांक–634(15) दिनांक–11.05.2026 द्वारा अपर समाहर्त्ता, गया से अभिलेखों के आधार पर जाँच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में अपर समाहर्त्ता, गया द्वारा पत्रांक–88/मु0 दिनांक–15.05.2026 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया गया।

6. आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र, आरोपों के संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण/पूरक स्पष्टीकरण तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अपर समाहर्त्ता, गया से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के परिशीलन एवं समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

7. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सुमित कुमार, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, बोधगया, गया सम्प्रति अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

8. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), गया** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेत **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, गया/अपर समाहर्त्ता(विभागीय जॉच), गया /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी/श्री सुमित कुमार, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, बोधगया, गया सम्प्रति अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (गया) 02–38/2024**– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

ई–मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गया एवं समस्तीपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी, गया/ श्री सुमित कुमार, अंचल अधिकारी, रोसड़ा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (गया) 02–38/2024**– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता(विभागीय जॉच), गया को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह०/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–**15/आरोप (गया) 02–38/2024**–2023 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–28/10/26

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त **(वै0दा0नि0को0)** विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)** आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/10/26
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।